

## बिहार पुलिस परोपकारी कोष से राहत हेतु प्रपत्र।

प्रथम लाभुक  
का पुलिस  
अधीक्षक द्वारा  
अभिप्रमाणित  
फोटो

1. मृतक कर्मी का नाम :-
2. पदनाम :-
3. जिला/इकाई :-
4. मृत्यु की तिथि (मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की जाय) :-
5. मृतक के नामांकन पत्र के अनुसार लाभुक का क्रमवार नाम, जन्म तिथि एवं मृतक से संबंध (नामांकन पत्र अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाय) :-
6. कोष में अंशदान प्रारम्भ होने की तिथि तथा अंतिम अंशदान का ब्योरा (राशि एवं तिथि) :-
7. नियंत्री पदाधिकारी की अनुशंसा :-
8. पेंशन बैंक का नाम/शाखा कोड/खाता संख्या/आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित :-
9. अभियुक्ति (विस्तृत ब्योरा) :-

लाभुक का पूर्ण हस्ताक्षर  
तिथि एवं स्थान

मृतक के नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर